अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 464 सन् 2015

मीरा कुंअर...........वादिनी

बनाम

बच्चा सिंह व अन्य................प्रतिवादीगण।

दिनांक–11.01.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 3 बिन्देश्वर गिरि की मृत्यु दिनांक 20.09.2019 को अपने निवास स्थान पर हो गई। इसलिए उनका नाम वादपत्र से कलमजद करना एवं उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रतिवादी सं0 3 बिन्देश्वर गिरि का नाम वादपत्र से कलमजद कर प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का दाखिल आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 3 बिन्देश्वर गिरि थे, जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक–02.12.2019 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया

जाता है वह वादपत्र से प्रतिवादी सं0 3 बिन्देश्वर गिरि का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों को समय सीमा की भीतर प्रतिस्थापित करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–25.01.2021

सब जज

सोनपुर सारण।